

राजस्थान - सरकार
कार्यालय रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जैसलमेर



क्रमांक : ५४०

दिनांक : ४/४/२०१८

संशोधित पंजीयन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, "तनोटराय गौ सेवा समिति सुखसिंह की ढाणी" का पंजीयन इस कार्यालय द्वारा पंजीयन क्रमांक 49/जैसल/2002-03 पंजीयन दिनांक 15.11.2002 को राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के तहत किया गया है।

आज दिनांक ४/४/२०१८ को इस संस्था का नाम परिवर्तन कर के "तनोटराय गौ सेवा समिति छोड़" कर दिया गया है।

यह संशोधित पंजीयन प्रमाण-पत्र आज दिनांक ४/४/२०१८ माह अगस्त सन दो हजार आठ सौ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



R
(डॉ. राजकुमार गुप्ता)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर

राजस्थान सरकार
निदेशालय गोपालन राजस्थान, जयपुर
कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार) गौशालाएं
गोपालन भवन, पुलिस मुख्यालय के सामने, टॉक रोड, जयपुर, 302015

संशोधित पंजीयन प्रमाण-पत्र

अध्यक्ष, तनोटराय गौ सेवा समिति सुखसिंह की ढाणी ग्राम व पोस्ट बडोडा गांव तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर से प्राप्त प्रपत्र IX, लिखित प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर तनोटराय गौ सेवा समिति सुखसिंह की ढाणी ग्राम व पोस्ट बडोडा का नाम परिवर्तन हेतु निवेदन किया गया है। अतः राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के प्रावधानानुसार उक्त गौशाला के संशोधित पंजीयन क्रमांक 480 दिनांक 08.08.2018 द्वारा पंजीकृत तनोटराय गौ सेवा समिति सुखसिंह की ढाणी ग्राम व पोस्ट बडोडा गांव तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए "तनोटराय गौ सेवा समिति, छोड तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर" किया जाता है।

sd
रजिस्ट्रार गौशाला/संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी)
निदेशालय गोपालन राजस्थान, जयपुर

एफ. 3()निगो/गौपनसु/संशोधन/16/ 3941-42
जयपुर, दिनांक: 29.1.2019

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जैसलमेर
- ✓ 2. अध्यक्ष, तनोटराय गौ सेवा समिति, छोड तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

रजिस्ट्रार गौशाला/संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी)
निदेशालय गोपालन राजस्थान, जयपुर